प्रेस विज्ञप्ति

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में स्थित 120 पेड़ फलदार अमरूद के नीलामी कार्यवाही दिनांक 28.03.2022 को सायं 04.00 बजे दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात में सम्पन्न होगी। उपरोक्त पेड़ों की नीलामी की संविदा में उपयुक्त पात्र व्यक्ति नियमानुसार भाग ले सकते हैं। वे नीलामी की शर्तें केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कार्यालय अथवा नजारत के सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक अवलोकित कर सकते हैं।

इसके साथ ही निविदा की सूचना तथा शर्तें जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के वेबसाइट -https://districts.ecourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,

Sudhakar 16.3.22

अध्यक्ष

नीलामी समिति/अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 03/विशेष न्यायाधीश (डकैती),
कानपुर देहात।
14.03.2022

निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश, के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में स्थित 120 पेड़ फलदार अमरूद के नीलामी हेतु प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दिनांक 28.03.2022 को समय 04.00 बजे दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रकिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं -

निविदा की शर्तें व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरूद की बोली में सम्मिलित होने से पहले धरोहर में रू0 10,000/- नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।
2. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो।
3. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि की 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि दो दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वत: जब्त समझी जायेगी।
5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी बिना कोई कारण बताये स्थगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।
7. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरूद केउपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2023 को स्वत: समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा अमरूद के पेड़ों का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक 14.03.2022 को समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(अभिषेक कुमार चतुर्वेदी)	(शिवा नन्द)	(सुधाकर राय)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
अपर जिला जज/ एफ0टी0सी0 (महिला उत्पीड़न)	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	अपर जिला जज कोर्ट सं0-3/ विशेष न्यायाधीश (डकैती)
कानपुर देहात।	कानपुर देहात।	कानपुर देहात।
14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022